jktdh; cgqrduhdh egkfo|ky;] ¼efgyk½ d.Mk?kkV ftyk lksyu dh vof/k 04@2005 ls 03@2012

¼d½ xr ys[kk ijh{kk izfrosnu½&

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित पैरों की जांच के उपरात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार सं थी।

vads{k.k izfrosnu vof/k 04@86 ls 03@87

1	पैरा 4(ii)	निर्णीत	(निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या फिन एल ए0 (ii)(4)113/88 खण्ड-III432 दिंनांक 29.01 2007 द्वारा समाप्त)
2	पैरा 4(iii)	निर्णीत	(निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या फिन एल ए0 (ii)(4)113/88 खण्ड -III432 दिंनांक 29.01 2007द्वारा समाप्त)
3	पैरा 4(v)	निर्णीत	(निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्या फिन एल ए0 (ii)(4)113/88 खण्ड-III432 दिंनांक 29.01 2007द्वारा समाप्त)

vads{k.k izfrosnu vof/k 04@87 ls 03@03

1	पैरा 5 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 7	अंषतःनिर्णीत	
3	पैरा 26	निर्णीत	¼निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्या फिन एल0 ए0 (ii) (4) 113 /88 खंड III –432 दिनांक 29.01.2007 द्वारा समाप्त)
4	पैरा 29	अंषतःनिर्णीत	(निदेषक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या फिन एल0 ए0(ii) (4) 113 /88 खंड–III–432 दिनांक 29.01.2007 द्वारा अषतः)
5	पैरा 34 (2)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा 36 (क)	अंनिर्णीत	
7	पैरा 36 (ग)	अंनिर्णीत	
8	पैरा 36 (घ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 37	अनिर्णीत	
10	पैरा 40	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित है)
11	पैरा 41	अनिर्णीत	

12	पैरा 42 (क)	अनिर्णीत	
13	पैरा 42 (ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा 43 (क)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
15	पैरा 43 (ख)	अनिर्णीत	
16	पैरा 43 (घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा 43 (ड़)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
18	पैरा 44(क)		(निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या फिन एल0 ए0 (ii)(4) 113 /88 खंड III–432 दिनांक 29.01.2007 द्वारा समाप्त)
19	पैरा 44(ख)	अनिर्णीत	
20	पैरा 44(ग)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा 44 (घ)	निर्णीत	(निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या फिन एल0 ए0 (ii)(4) 113 /88 खंड III–432 दिनांक 29.01.2007 द्वारा समाप्त)
22	पैरा 44 (ङ)	निर्णीत	(निदेषक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 के पत्र संख्या फिन एल0 ए0 (ii)(4) 113 /88 खंड III –432 दिनांक 29.01.2007 द्वारा समाप्त)

vad{k.k ifrosnu vof/k 4@03 ls 3@05

1	पैरा 3	निर्णीत	
2	पैरा 4	अनिर्णीत	
3	पैरा 5	निर्णीत	¼वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)
4	पैरा 6 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 6 (ख}	निर्णीत	¼वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित)
6	पैरा 7	अनिर्णीत	
7	पैरा 8 (क से घ)	अनिर्णीत	

¼[k½ Nk= dk vad{k.k ,oa fujh{k.k ifrosnu vof/k 4@05 ls 3@12 esa lekfo"V eq[; iSjk dk lkj %&

de la[;k	laf{kIr fooj.k	jkf'k	iSjk la[;k
1	हॉस्टल की बिजली पानी के बिलो का	3,16,426.00	6

	अनियमित एंवम् अधिक भुगतान		
2	छात्र निधियों से वेतन व भतों के रूप में अनियमित भुगतान	21,06,994.00	7
3	छात्र निधियों के अग्रिमों से षेष राषि को जमा न करना	37,242.00	8
4	निर्माण बिलों से आवष्यक कटौतियॉ न करना	30,297.00	9
5	छात्र निधियों से राषि निकाल कर सरकारी राजस्व के रूप में अधिक जमा करना।	12,400.00	10

Hkkx&2

2 orreku vads{k.k&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कण्ड़ाघाट जिला सोलन के अवधि 4/05 से 3/12 के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण, श्री अनिल कुमार मैहरा अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 05.04. 2012 से 27.04.2012 के दौरान किया गया। माह 07/2005 ,07/2006, 07/2007 ,01/2009 ,07/2009, 01/2011 ,01/2012 की आय व माह 08/2005 , 03/2007 ,11/2007, 02/2009, 6/2009, 09/2010 06/2011 के व्यय की विस्तृत जांच की गई।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं पर आधारित है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचनाओं या सूचना उपलब्ध न करवाने बारे जिम्मेंवार नहीं है।

3 ys[kk ijh{kk 'kqYd&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कंडाघाट जिला सोलन के अवधि 04/2005 से 03/2012 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण षुल्क ₹10200/– बनता है। अनुभाग अधिकारी (लें0 प0) के पत्र संख्या 103, दिनांक 26.08.2010 द्वारा अंकेक्षण षुल्क की उक्त राषि को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष, षिमला –171009 को बैक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु अनुरोध किया गया तथा संस्थाध्यक्ष द्वारा जोगिन्द्रा को–ओप बैंक के बैंक ड्राफ्ट संख्या 065422 के अन्तर्गत यह राषि प्रेषित कर दी गई हैं।

4 forh; fLFkfr%&

¼d½ राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कंडाघाट जिला सोलन द्वारा प्रस्तुत अवधि 04/2005 से 03/2012 के लेखों की वर्षबार वितीय स्थिति निम्न प्रकार थी जिसका विस्तृत विवरण परिषिष्ट "क(1)" में भी दिया गया हैं :–

o"kZ ckj dh foRrh; fLFkfr

Year	Opening bal.	Receipt	Interest	Total	Payment	Closing Bal.
2005-06	9118870.25	5679272.5	101650	14899792.75	2914611	11985181.75
2006-07	11985181.75	9435107	64277	21484565.75	7791739	13692826.75
2007-08	13692826.75	11135840	259848	25088514.75	5642694	19445820.75
2008-09	19445820.75	20516319	1923559	41885698.75	17319989	24565709.75
2009-10	24565709.00	11401095	1142890	37109694.75	8456276	28653418.75
2010-11	28653418.75	10179477	2517793.83	41350689.58	7001580.67	34349108.91
2011-12	34349108.91	9795557	1517501	45662166.91	8814088	36848078.91

दिनांक 31.03.2012 तक वितीय स्थिति अनुसार ₹3,68,48,078.91 विभिन्न निधि खातों में जमा थे संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर जमा राषि का पूर्ण विवरण निम्न दिया गया हैंः–

Ø0 l0	tek jkf'k dk fooj.k	jkf'k
1	जोगिंदरा केंन्दीय सहकारी बैंक के बचत खाता संख्या 1596 में जमा	31,41,337.60
2	यूको बैंक के बचत खाता संख्या 9224 में जमा	8,28,623.33
3	यूको बैंक के बचत खाता संख्या 9225 में जमा	20,98,333.00
4	यूको बैंक के बचत खाता संख्या 9226 में जमा	2,94,445.00
5	सावधि जमा (FDRS)में जमा जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट "ख" में दिया गया है	3,04,16,858.83
6	नगद जमा	3631.15
	;kx	3]67]83]228-91
	चेक जो जमा किए गए परंन्तु बैंक द्वारा क्लियर नही किए गए गया(+)	(+) 64,850.00
	dqy ;kx	368]48078-91

(ii) उक्त ₹64850/– जोकि बैंक द्वारा क्लीयर नहीं की गई का विवरण संस्था द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाए।

(iii) उपरोक्त वित्तीय स्थिति में दर्षाया गए प्रारम्भिक षेष का सत्यापन अंकेक्षण में नहीं किया जा सका क्योकि पूर्ण की अवधि को वित्तीय स्थिति संस्था द्वारा तैयार नहीं की गई थी।

¼[k½ lLFkk e: ikIr dh xbZ fufèk;k dk fufèkokj ys[kk u j[kuk&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा विभिन्न निधियॉ छात्रों से ली जा रही हैं परन्तु सभी निधियों का लेखाकन इकठा करके किया जा रहा है जिससे यह पता नहीं चलता कि किस निधि में कितनी राषि जमा है उसमें से कितना व्यय किया गया है तथा कितनी राषि षेष है। अतः सुझाव दिया जाता है कि सभी निधियों का पृथक–2 लेखाकंन किया जाए ताकि प्रत्येक निधि की वितीय स्थिति स्वतः स्पष्ट हो सके।

5 mfpr forh; ioèku u djus ds dkj.k lkofèk tek e: de C;kt vftZr djuk&

संस्था द्वारा दिनांक 31.03.2012 तक सावधि जमा के रूप में ₹3,04,16,858.83 विभिन्न बैंको में जमा करवाई गई थी जिसका पूर्ण विवरर्ण "परिषिष्ठ ख" में दिया गया है। इस विवरण में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि SWF की क्र0सं0 3 तथा 5 तथा बिलिण्डंग फण्ड़ की कम संख्या 1 में दर्षाई गई राषियॉ ही उच्च ब्याज दर पर निवेषित की गई थी तथा षेष निवेषित राषियॉ काफी कम ब्याज दर अर्थात 7% या 7.25 पर निवेषित कि गई है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया सावधि जमा में निवेष लम्बी अवधि के लिये किया गया है जिसके ब्याज की दरें भी कम है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि राषियॉ उतनी ही अवधि के लिए सावधि जमा में निवेष की जाएं जिससे अधिक ब्याज अर्जित किया जा सके। अतः इस प्रकरण में उचित वितीय प्रबंधन करके अधिक ब्याज अर्जित किया जा सकता था।

6 gkLVy ds fctyh o ikuh ds fcyks dk ₹316426@&dk Hkqxrku vfu;fer :i ls Nk= fufèk;ks ls fd;k tkuk&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कण्डाघाट के प्रोस्पेक्टस में दिए गए प्रावधानो अनुसार हॉस्टल के बिजली व पानी के बिलों की समस्त अदायगी हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं द्वारा की जानी अंपेक्षित थी लेकिन वर्ष 2005–06 से 2011–12 के दौरान छात्राओं द्वारा निम्नविवरणानुसार कम अदायगी की गई थी तथा यह राषि छात्र निधियों से भुगतान की गई थी।

o"k	gkLVy es jgus okyh Nk=kvks ls izkIr dh xbZ jkf'k;k	gkLVy ds fctyh o o ikuh o fcyks dk Hkqxrku	Nk= fufèk ¼swf½ ls Hkqxrku dh xbZ jkf'k
2005—06	224830	308294	83464
2006—07	294756	409997	115241
2007—08	186505	205828	19325
2008—09	389000	427414	38414
2009—10	364000	418553	54553
2010—11	423000	428429	5429
		dqy ;kx	₹316426

इस प्रकार से छात्र निधियों से ₹316426/—अनियमित रूप से भुगतान करने के परिणामस्वरूप संस्था को हानि हुई है जबकि नियमानुसार/प्रोस्पेक्ट्स में दिए गए प्रावधानानुसार उक्त राषि उस वर्ष में पड़ रहीं छात्राओं से वसूल की जानी अंपेक्षित थी। अतः छात्र निधियों से अनियमित रूप से भुगतान की गई ₹316426/— की उचित स्त्रोत से वसूली करके छात्र निधि में जमा करवाई जाए अथवा अधिक खर्च की गई राषि का नियमितिकरण सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

7- Nk= fufèk;ks ls ₹2106994@&dk osru o HkRrks ds :i es vfu;fer Hkqxrku djuk&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) के अंकेक्षण में पाया कि निम्नलिखित वेतन व भतों का भुगतान छात्र निधियों से किया गया था जोकि छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है क्योकि छात्र निधियों का प्रयोग केवल छात्र कल्याण व छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु ही नियमानुसार किया जा सकता थाः—

fnukd	Hkqxrku dk fooju	Hkqxrku dh xbZ jkf'k
—	ए आइ सी टी को भुगतान की गई राषि का षेष	2844
04.10.2011	बकाया वेतन व भत्तों का भुगतान	2067282
05.03.2012	बकाया वेतन व भत्तों का भुगतान	36868
	dqy ;kx	₹2106994

इस प्रकार से छात्र निधियों से ₹2106994/— का भुगतान अनियमित रूप से किया गया है। अतः इस राषि की वसूली उचित स्त्रोत से करके छात्र निधि से अविलम्ब जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त छात्र निधियों से किये जा रहे इस प्रकार के ब्यय/भुगतान का यह प्रकरण विषेष रूप से निदेषक तकनीकी षिक्षा के ध्यानार्थ इस आषय के साथ लाये जाते है कि संस्थाध्यक्ष को इस प्रकार के भुगतान न करने हेतु अपेक्षित निर्देष जारी किए जाएं।

8- vofèk 04@2005 l: 03@2009 d: nkSjku iznku dh xbZ vfxze jkf'k;ksa d: lek;kstu d: le; 'ks"k ₹37242@&dk fuf'pr;ksa e: tek u djukA&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कण्डाघाट के अंकेक्षण में पाया कि संस्थान की विभिन्न गतिविधिओं के संचालन हेतु समय—2 पर परिषिष्ट "ग" के अनुसार अग्रिम प्रदान किए गए थे तथा दिए गए अग्रिमों के समायोजन के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए वाउचर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार षेष बची नगद राषियों को खातों में जमा नहीं किया गया।

d0 l0	uke	vfxze jkf'k	lek;ksftr jkf'k	'ks"k jkf'k
1	श्री पत राम ड्राईवर	95000.00	70802.00	24198.00
2	श्री राम सरन धीमान, लैब अटटैंडेंट	28900.00	17856.00	11,044.00
3	श्री कुलदीप धीमान	4000.00	2000.00	2000.00
			;ksx	₹37242-00

अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर उपरोक्त ₹24198/— की वसूली रसीद संख्या 3944 दिनांक 02.05.2012 द्वारा, ₹11044/—की वसूली रसीद संख्या 3945 दिनांक 02.05.2012 द्वारा तथा ₹2000 की वसूली रसीद संख्या 3946 दिनांक 02.05.2012 द्वारा कर ली गई है अर्थात कुल ₹37242/— रूपये की वसूली कर ली गई थी। अतः इस प्रकरण को मध्य नजर रखते हुए सुझाव दिया जाता है कि अग्रिमों के संम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम एवम् समायोजन रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि इस प्रकार के प्रकरण की पुर्नवृति न हो।

9 fuek.k fcyk d Hkxrku d le; ₹30297@&dh ljdkjh dVkfr;k u djuk&

राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला) कण्डाघाट के अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान की भवन निधि से निम्नलिखित निमार्ण बिलों का भुगतान संविदकारों को किया गया थाः–

d0l0	o"k	dk;l dk uke	lfondkj dk uke	dk;l dk eY;
1	2009	रिपेयर व मांटेनंस ऑफ रेटेनिंग बाल	मै0 लोकनाथ षर्मा	76710.00
2	2010	फिक्सिंग ऑफ कोटा स्टोन	मै0 लोकनाथ षर्मा	332876.00
3	2010	व्यहाइट वॉषिग ऑफ हास्टल रेणुका	मै0 पवन कुमार	87061.00
4	2010	व्यहाइट वॉषिग ऑफ हास्टल, सरोजिनी	श्री पवन कुमार	8706.00
			dy ;kx	₹571648-00

संस्था द्वारा वर्ष 2009 व 2010 में उपरोक्त विवरणानुसार भुगतान किया गया था पंरन्तु संबिदाकारों से आवष्यक कटौतियॉ नहीं कि गई थी अर्थात स्त्रोत पर 2.30% की दर से आयकर तथा 2% की दर से विक्रीकर व 1% की दर से लेबर /श्रम कर की कटौती नहीं की गई थी जिससे सरकारी राजस्व को ₹30,297.00 की हानि हुई है। अतः परामर्ष दिया जाता है कि नियमानुसार उचित स्त्रोत से अपेक्षित वसूली करके सरकारी खजाने में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 Nk= dY;k.k fufek;k ls ₹12400@& fudky dj ljdkjh jktLo d :i e vfekd tek djuk&

वर्ष 2005–2006 में सरकारी राजस्व अर्थात एड़मिसन फीस हॉस्टल रेन्ट के रूप में ₹12400 अधिक जमा किए गए थे। यह राषि छात्र निधियों से निकाल कर जमा करवाई गई थी जिससे छात्र निधियों में ₹12400/– की हानि हुई है। अतः उक्त ₹12400/–की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 fufek [kkrk e ₹2600@&de tek djuk

वर्ष 2006–2007 के लिए विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 07/2006 की रसीदों के अंकेक्षण में पाया कि रसीद संख्या 3572 दिनांक 25.07.2006 के अर्न्तगत ₹2850.00/– प्राप्त की गई थी परन्तु फंड़ क्लेषन रजिस्टर में ₹250.00 ही दर्षाई गई थी तथा इतनी ही राषि जमा करवाई गई थी। इस प्रकार ₹2600/–कम जमा करवाई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 V'fuax ,oe· Iy:le:V fufèk l: lEcfUèkr [kpi vU; Nk= fufèk;k: e: y:[kkfdr djuk‰&

अंकेक्षण में पाया गया कि केम्पस इंटरव्यू के समय खर्च की गई राषियों को उक्त निधि में लेखाकित न करके अन्य छात्र कल्याण निधियों में गलत तरीके से लंखाकित किया गया है। इस प्रकार ट्रेनिग एवम् प्लेसमेंट निधि में इन खर्चों को लेखाकित न करना अपने आप में ही एक अनियमितता है। इस प्रकार से किए गए भुगतान के कुछ उदाहरण नीचे दिये गए हैः–

fnukd	fooj.k	jkf'k
25.06.2009	पान/ भोजन के लिए	1283.00
16.06.2011	पान/ भोजन के लिए	679.00
05.12.2011	चाय–पान/ भोजन के लिए	180.00
05.12.2011	चाय–पान/ भोजन के लिए	528.00
5.12.2012	चाय–पान/ भोजन के लिए	969.00
31.3.2012	चाय–पान/ भोजन के लिए	502.00

अतः सुझाव दिया जाता है कि केम्पस इंटरव्यू से संबन्धित किए गए खर्चो को सम्बन्धित निधि में लेखाकित किया जाना सुनिष्चित किया जाये।

13 Hkou fufèk l: lEcfU/kr [kpi vU; Nk= fufèk;k: e: y:[kkfdr djuk‰&

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान भवन की छोटी –2 मुरम्मत हेतु समय–2 पर किए गए खर्चो को भवन निधि में लेखांकित न करके अन्य छात्र कल्याण निधियों में गलत लेखांकित किया गया है जबकि भवन निधि में यह खर्च लेखाकित न करना अपने आप में ही एक अनियमितता है। इस प्रकार से किए गए भुगतान कें कुछ उदाहरण नीचे दिये गए हैः–

fnukd	fooj.k	jkf'k
09.02.2006	फ्लाई,ऐस आर,नेल इत्यादि	972.00

21.02.2006	विण्ड़ों ग्लास	972.00
23.02.2006	विण्ड़ो ग्लास	972.00
14.08.2006	व्यहाइट वॉषिंग	4833.00
08.07.2008	टारपीन,लाईम,डीडीएल,ब्रष	945.00
28.01.2009	बोई 8'4'	4847.00
27.01.2009	प्लैन ग्लास	2570.00
28.01.2009	प्लैन ग्लास	4212.00
27.03.2009	टाइल्स	4732.00
29.06.2009	टाइल्स	985.00
29.06.2009	रोलिंग षटर	5954.00
06.08.2009	फ्लाई 8'4'	925.00

अतः सुझाव दिया जाता है कि भवन की छोटी–2 मुरम्मत से संबन्धित खचों को भवन निधि में ही लेखांकित किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

14- fofoèk%&

vkd{k.k dk nkSjku mijksDr dk vfrfjDr fuEufyf[kr vfu;ferrk,a Hkh ikbZ xbZ%&

¼d½ बहुतकनीकी महाविद्यालय द्वारा छात्र निधि से सम्बन्धित बनाए गए नियमों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व व्यय का अनुमान तैयार करना अपेक्षित था तथा उसके आधार पर व्यय किया जाना अपेक्षित था जोकि नहीं किया गया। अतः भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व व्यय का विवरण तैयार करना सुनिष्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

¼[k½ संस्थान द्वारा कय की जा रही वस्तुओं का अस्थाई व स्थाई स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज तो किया जा रहा है परन्तु वस्तुओं के षेष आदि सही प्रकार से नही दर्षाए गए थे तथा कुछ वस्तुओं को सीधा बिल रजिस्टर से जारी करके षेष षून्य दर्षाया जा रहा था जो कि लेखा नियमों कि अवहेलना है। अतः स्टॉक रजिस्टर से सम्बन्धित अभिलेख के रख रखाव में विषेष सुधार की आवष्यकता है।

¼x½ रोकड. वही में कोरेक्टिंग फ्लुईड का प्रयोग किया गया है जो कि नियमों के विपरीत है। अतः भविष्य में रोकड़ बही में कोरेक्टिंग का प्रयोग न किया जाए व कटिग का डीडीओं से सत्यापन करवाना ही सुनिष्चित किया जाए।

¼?k½ गेस्ट लेक्च्चर का मानदेय जो छात्र कल्याण निधि से किया जा रहा था का कोई भी भुगतान रजिस्टर नहीं बनाया गया था जिसे अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिषित किया जाए।

¼³½ गृह परीक्षा सामग्री व अन्य सामाग्री की खरीद एक मुस्त न करके छोटे –2 बिलों के रूप में की गई है जिससे बाजार प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं मिल रहा है। अतः सुझाव दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आवष्यक जांच करके भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए/प्रत्येक सेमेस्टर के लिए प्रयोग होने वाली सामाग्री का क्रय सभी औपचारिताओ को पूर्ण करके एक मुस्त ही किया जाए ताकि बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जाए।

15 y?k vifr foof.kdk& यह अलग से जारी नहीं कि गई थी।

16 fu"d"k& लेखों में विषेष सुधार की आवष्कता है।

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)11(4)113/88 खण्ड–3 षिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

i thdr 1. प्रधानाचार्य, राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय (महिला), कण्ड़ाघाट, जिला सोलन, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।

2 प्रधान सचिव (तकनीकी षिक्षा) हि0प्र0 सरकार।

3 निदेषक,तकनीकी षिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रषिक्षण सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0प्र0

4 श्री अनिल मेहरा अ0 अ0 द्वारा.

उप निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष,षिमला–171009.